भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3281
दिनांक 20 मार्च, 2025

पीएमयूवाई के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं को सब्सिडी आबंटन

†3281. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों, चालू वर्ष तथा वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत एलपीजी कनेक्शनों तथा नियमित कनेक्शनों के लिए कुल सब्सिडी आवंटन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) नियमित कनेक्शनों और पीएमयूवाई कनेक्शनों के बीच एलपीजी सब्सिडी के असमान वितरण का क्या कारण है;
(ग) क्या नियमित कनेक्शनों की आवृत्ति या सब्सिडी की राशि बढ़ाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) से (घ): पूरे देश में गरीब परिवारों की व्यस्क महिलाओं को बगैर जमानत राशि के एलपीजी कनेक्शन जारी करने के उद्देश्य से मई, 2016 में प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई थी। पीएमयूवाई के तहत 8 करोड़ कनेक्शनों को जारी करने के लक्ष्य को सितंबर, 2019 में हासिल कर लिया गया था। शेष गरीब परिवारों को कवर करने के लिए, उज्जवला 2.0 को अगस्त, 2021 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य 1 करोड़ अतिरिक्त पीएमयूवाई कनेक्शनों को जारी करना था जिसे जनवरी, 2022 में हासिल कर लिया गया था। तत्पश्चात, सरकार ने उज्जवला 2.0 के तहत और 60 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया और दिसंबर, 2022 के दौरान उज्जवला 2.0 के तहत 1.60 करोड़ कनेक्शनों का लक्ष्य भी प्राप्त कर लिया गया है। इसके अलावा, सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमयूवाई योजना के तहत 75 लाख अतिरिक्त कनेक्शन जारी करने का अनुमोदन दे दिया था जिसे जुलाई, 2024 के दौरान पहले ही हासिल कर लिया गया है। दिनांक 01.03.2025 की स्थिति के अनुसार, पूरे देश में 10.33 करोड पीएमयूवाई कनेक्शन उपलब्ध है।

भारत घरेलू एलपीजी खपत का लगभग 60% आयात करता है। देश में एलपीजी के मूल्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य से जुड़े हुए हैं। जबकि औसत सऊदी सीपी (एलपीजी मूल्य निर्धारण के लिए अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क) में 63% की वृद्धि हुई (जुलाई 2023 में यूएस **$** 385 / मीट्रिक टन से फरवरी 2025 में यूएस **$** 629 / मीट्रिक टन तक)**,** घरेलू एलपीजी के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य 44% कम हो गया (अगस्त 2023 में 903 रुपये से फरवरी 2025 में 503 रुपये तक**,** 30 अगस्त 2023 को 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर और 9 मार्च 2024 को 100 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की कमी करके।)।

पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को और अधिक किफायती बनाने और उनके द्वारा एलपीजी के सतत प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने मई, 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रुप से आनुपातिक मूल्यांकन) 200 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेण्डर की निर्धारित राजसहायता शुरु की। अक्तूबर, 2023 में, सरकार ने प्रति वर्ष 12 रिफिल तक (और 5 कि.ग्रा. कनेक्शनों के लिए आनुपातिक रुप से आनुपातिक मूल्यांकन) 300 रुपए प्रति 14.2 कि.ग्रा. सिलेण्डर की निर्धारित राजसहायता बढ़ा दी। सभी एलपीजी उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी 803 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर (दिल्ली मूल्य) पर मिलती है। पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को 300 रुपये प्रति सिलेंडर की निर्धारित राजसहायता के बाद**,** भारत सरकार 503 रुपये प्रति सिलेंडर (दिल्ली मूल्य) के प्रभावी मूल्य पर 14.2 किलोग्राम एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करा

रही है। यह देश भर में 10.33 करोड़ से अधिक उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। राजसहायता की राशि बढ़ाने के लिए सरकार के पास फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

वैश्विक स्तर पर, पीएमयूवाई अपनी तरह का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो 100 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को लगभग 35 रुपये प्रति किलोग्राम के प्रभावी मूल्य पर घरेलू एलपीजी प्रदान करता है। इसके अलावा, दिनांक 01.01.2025 की स्थिति के अनुसार, पड़ोसी देशों में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के प्रभावी मूल्य निम्नवत है:

देश	घरेलू एलपीजी (14.2 कि.ग्रा. सिलेंडर/ रुपए) #
भारत	503.00*
पाकिस्तान	1094.83
श्रीलंका	1231.53
नेपाल	1206.65

स्रोतः पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

* दिल्ली में पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रभावी लागत, गैर-पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी मूल्य 803 रुपये है

सरकार ने जनवरी, 2015 में पूरे भारत में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए लाभ का सीधा अंतरण (डीबीटीएल) या पहल योजना शुरू की। इसका उद्देश्य पूरे देश में एलपीजी की राजसहायता व्यवस्था में सुधार करना था। डीबीटीएल योजना के तहत एलपीजी उपभोक्ता को उसका सिलेंडर पूर्ण खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) पर मिलता है और लागू राजसहायता, यानी खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) और राजसहायता वाले मूल्य के बीच का अंतर, सीधे उसके बैंक खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

डीबीटीएल योजना राजसहायता डीबीटीएल के तहत नामांकित सभी पात्र एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए लागू है, जबकि पीएमयूवाई के तहत राजसहायता केवल गरीब (पीएमयूवाई) परिवारों के लिए निर्धारित है। वर्ष 2021-22 से घरेलू एलपीजी पर राजसहायता के लिए धन आवंटन और उपयोग के ब्यौरें निम्नवत है:

(करोड़ रुपए में)

योजना	वित्त वर्ष	कुल आबंटन	वास्तविक आबंटन
एलपीजी के लिए लाभ का सीधा अंतरण (डीबीटीएल)	2021-22	3074	177.06
	2022-23	180	180
	2023-24	1460	1460
	2024-25	500	231.39*
	2025-26	1500	-
प्रधान मंत्री उज्जवला योजना (पीएमयूवाई)	2021-22	1618	1568.44
	2022-23	8010	5663.38
	2023-24	8500	8500
	2024-25	12700	9892.22*
	2025-26	9100	-
घरेलू एलपीजी पर घाटे के लिए तेल विपणन कंपनियों को मुआवजा	2022-23	22000	22000

*दिनांक 10.03.2025 तक

वर्ष 2021-22 से 2024-25 – संशोधित अनुमान

2025-26 – बजट अनुमान

*****